संख्या : 2175 / VIII / 680–श्रमटीसी–11/02

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. सभी मण्डलायुक्त, उत्तरांचल ।
3. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
4. सभी जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम ।
6. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निगम उत्तरांचल ।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल ।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषय : उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2005 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन की पॉचवीं वर्षगांठ के शुभावसर पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक बल के नियोजन तथा सेवा शर्तो के विनियमन, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपाय करनेके उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को राज्य में कार्यान्वित करने हेतु समुचित सरकार (Appropriate Government), के रूप में अधिनियम की धारा 40 और धारा 62 के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण (**नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2005** बनाए गये हैं, जो शासन की अधिसूचना संख्या 963 / VIII / 680–श्रम / 2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित किये गये हैं तथा जिन्हे विधानसभा के पटल पर दिनांक 20.10.2005 को विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया है ।

2– आप अवगत है कि उत्तरांचल में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य यथा–टिहरी बांध परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, सुरंग निर्माण विभिन्न सड़क और पुल निर्माण, जल–कल अभिनिर्माण, भवन निर्माण, मरम्मत, ध्वस्तीकरण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन आदि अनेक निर्माण संक्रियाएं सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों तथा निगमों ठेकेदारों / संस्थाओं, फर्मो, कम्पनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन निर्माण कार्यो में कार्यरत निर्माणी मजदूरों को सदैव ही जान–माल और अंग–भंग का खतरा बना रहता है क्योंकि उनकी कार्य की प्रकृति कठिन और खतरनाक है । इतना ही नहीं उनका रोजगार भी आकस्मिक प्रकृति का होता है । मालिक मजदूर

का सम्बन्ध कार्य की निरंतरता तक सीमित रहता है, उनके कार्य के घण्टे अनिश्चित होते हैं, कार्यस्थलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव होता है ।

3– उक्त अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित नियमावली इन्ही श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गयी है, जिनको कार्यान्वित करने का प्रदेश सरकार का न केवल विधिक दायित्व है अपितु नैतिक कर्तव्य भी है । चूंकि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली भी प्रवर्त्त हो गयी है, अतः प्रदेश में उक्त के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नांकित है :–

1. 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी स्थापनों तथा अधिष्ठानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण ।
2. लाभार्थी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण कर्मकारों के पंजीयन की अनिवार्यता एवं उन्हे पहचान पत्र दिया जाना ।
3. पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों को पेंशन, निशक्तता पेंशन, भवन क्रय अथवा भवन निर्माण हेतु अग्रिम, औजार क्रय करने हेतु ऋण, अन्त्येष्टि सहायता, मृत्यु पर कर्मकार के आश्रित को सहायता, शिक्षा एवं विवाह हेतु आर्थिक सहायता, कुटुम्ब पेंशन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृका हितलाभ आदि विभिन्न हितलाभ उपलब्ध कराने हेतु राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन ।
4. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार निधि का गठन, जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण, लाभार्थियों द्वारा दिया गया अंशदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्त्रोतों से जैसे उपकर **(Cess)** के रूप में बोर्ड को प्राप्त धनराशि जमा होगी ।
5. **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (कल्याण उपकर अधिनियम, 1996)** की धारा 3 के साथ पठित केन्द्र सरकार के आदेश संख्या SO- 2899 दिनांक 26.9.96 के अन्तर्गत निर्माण अधिष्ठानों के सेवायोजकों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्माण कार्य के लागत का 1 (एक) प्रतिशत उपकर **(Cess)** के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि जिसमें संग्रह व्यय कम करते हुए बोर्ड को भुगतान किया जाना ।
6. निर्माणी कर्मकारों के कार्य के घण्टे, ओवर टाइम, साप्ताहिक अवकाश तथा कार्यस्थल पर पीने के पानी और शौचालय, शिशु गृह, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा नियोजित किये गये कर्मकारों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव, तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान ।
7. अधिनियम के क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रवर्तन हेतु वैधानिक निकाय और प्राधिकारी यथा– राज्य कल्याण बोर्ड, राज्य सलाहकार समिति, मुख्य निरीक्षक भवन और अन्य सन्निर्माण निरीक्षण, निरीक्षक, अपीलीएट ऑथोरिटी आदि के गठन एवं नियुक्ति की वैधानिक औपचारिकताएं भी पूर्ण कर उन्हें अधिसूचित किया जा चुका है अथवा तत्सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है । उपकर निर्धारण अधिकारियों की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जा रही है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य को भारत सरकार द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके अनुश्रवण हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्पेशल ग्रुप का गठन किया गया है और इस संदर्भ में समय–समय पर आयोजित बैठकों में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की सूचना प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली का क्रियान्वयन तत्परता से किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों निगमों/संस्थाओं तथा निकायों को निर्देश देने का कष्ट करें और इस दिशा में हुई प्रगति की सूचना से श्रम विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

प्रतिलिपि :-

अपर आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून ।
अपर आयुक्त, देहरादून ।